



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12042021-226513
CG-DL-E-12042021-226513

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1425]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 9, 2021/चैत्र 19, 1943

No. 1425]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 9, 2021/CHAITRA 19, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2021

का.आ.1536(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3790(अ), तारीख 23 अक्टूबर 2020 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के मुंगेली जिले में NH130A के कि.मी. 7.750 से कि.मी. 26.542 एवं कि.मी. 32.093 से कि.मी. 44.186 = 30.80 (विलासपुर-तखतपुर-मुंगेली खण्ड) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "25 अक्टूबर 2020" को "नवभारत" और "सेन्ट्रल क्रॉनिकल" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य के मुंगेली जिले में NH-130A के (बिलासपुर-तखतपुर-मुंगेली) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: छत्तीसगढ़		जिले का नाम: मुंगेली			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: मुंगेली				
	गांव का नाम: सोढार				
1	147/1	निजी	कृषि	0.044	विकाश शुक्ला पिता डी.पी. शुक्ला (१४७/१)
2	147/4	निजी	कृषि	0.263	रामकुमार पिता हीराराम (१४७/४)
3	150	निजी	कृषि	0.162	मीनाक्षी पति आयोध्या प्रसाद वैगरह (१५०/१)
4	150	निजी	कृषि	0.134	मालिकराम पिता खेमसिंह (१५०/२)
5	150	निजी	कृषि	0.02	ईश्वर पिता खेमसिंह (१५०/३)
6	150	निजी	कृषि	0.194	धरजौ प्रसाद पिता खेमसिंह (१५०/४)
7	150	निजी	कृषि	0.097	राजपति पिता खेमसिंह (१५०/५)
8	165	निजी	कृषि	0.004	लखनलाल पिता उमैदी

					(१६५/३)
9	23/1	निजी	कृषि	0.451	महेतरू पिता बिजऊ (२३/१)
10	26/1	निजी	कृषि	0.081	फिरन्तु पिता रामदीन (२६/१)
11	26/2	निजी	कृषि	0.093	फिरन्तु पिता रामदीन (२६/२)
12	27	निजी	कृषि	0.906	फिरन्तु पिता रामदीन (27)
			कुल	2.449	

[फा. सं. 12307/27/2016/CG/P-5/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th April, 2021

S.O. 1536(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways Number S.O. 3790(E), dated 23 October 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH-130A from Km. 7.750 to 26.542 & Km. from Km 32.093 to Km 44.186 = 30.80 (Bilaspur-Takhatpur-Mungeli Section) in the district of Mungeli in the state of Chhattisgarh.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Navbharat” and “Central Chronicle” both dated 25.10.2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures falling in NH-130A (Bilaspur-Takhatpur-Mungeli) in the district of Mungeli in the state of Chhattisgarh.

State: CHHATTISGARH			District: MUNGELI		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Mungeli				
	Village: Sodhar				
1	147/1	Private	Agriculture	0.044	Vikash Shukla S/o D.P. Shukla 147/1
2	147/4	Private	Agriculture	0.263	Ramkumar S/o Heeraram 147/4
3	150	Private	Agriculture	0.162	Minakshi W/o Aayodhya Prasad etc. 150/1
4	150	Private	Agriculture	0.134	Malikram S/o Khemsingh 150/2
5	150	Private	Agriculture	0.02	Ishwar S/o Khemsingh 150/3
6	150	Private	Agriculture	0.194	Dhajjau Prasad S/o Khemsingh 150/4
7	150	Private	Agriculture	0.097	Rajpati S/o Khemsingh 150/5
8	165	Private	Agriculture	0.004	Lakhanlal S/o Umendi 165/3
9	23/1	Private	Agriculture	0.451	Mahetaru S/o Bijau 23/1
10	26/1	Private	Agriculture	0.081	Firantu S/o Ramdin 26/1
11	26/2	Private	Agriculture	0.093	Firantu S/o Ramdin 26/2
12	27	Private	Agriculture	0.906	Firantu S/o Ramdin 27
			TOTAL	2.449	

[F. No. 12307/27/2016/CG/P-5/3D]

RAJESH GUPTA, Director